

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21116/2017

हरिपाल मीणा पुत्र बोदन राम मीणा, निवासी कल्याणपुरा खुर्द, तहसील कोटपुतली,
जिला जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, उप-रजिस्ट्रार, कोटपुतली, जिला जयपुर के माध्यम से
2. हनुमान पुत्र सोहन गुर्जर, निवासी ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, तहसील कोटपुतली,
जिला जयपुर
3. शेओकरण पुत्र सोहन गुर्जर, निवासी ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, तहसील कोटपुतली,
जिला जयपुर

----प्रतिवादी

से संबंधित

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21098/2017

हरिपाल मीणा पुत्र बोदन राम मीणा, निवासी कल्याणपुरा खुर्द, तहसील कोटपुतली,
जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, उप-रजिस्ट्रार, कोटपुतली, जिला जयपुर के माध्यम से।
2. हनुमान पुत्र सोहन गुर्जर, निवासी ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, तहसील कोटपुतली,
जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री विजय कुमार शर्मा
प्रतिवादी के लिए	:	

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन
माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेश

04/11/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक)-

1. ये याचिकाएं इस आदेश द्वारा निस्तारित की जाती हैं क्योंकि इनमें शामिल मुद्दा और तथ्य समान हैं।
2. यह याचिका दिनांक 16.12.2016 और 28.07.2017 के उन आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिनके द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण स्वीकार किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका खारिज की गई थी।
3. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता ने दिनांक 21.06.1982 के विक्रय करार द्वारा हनुमान गुर्जर से ग्राम कल्याणपुरा में स्थित खसरा संख्या 100 की दस बिस्वा भूमि खरीदी थी। यह महसूस होने पर कि हनुमान गुर्जर विचाराधीन भूमि के एकमात्र खातेदार नहीं थे और शेओकरण भी एक खातेदार थे, उसी भूमि के लिए दिनांक 14.08.1982 को दोनों खातेदारों द्वारा एक करार निष्पादित किया गया। ये करार सिविल वाद में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए और जब्त किए गए। अतिरिक्त कलेक्टर (स्टाम्प), जयपुर के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए और प्रत्येक पर 400 रुपये का स्टाम्प शुल्क और 4000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। राज्य ने, आदेशों से व्यथित होकर, कर बोर्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसमें कहा गया था कि स्टाम्प शुल्क दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार लगाया जाना था, न कि करार की तारीख के आधार पर। पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया गया और मामला वापस रिमांड किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका खारिज कर दी गई।

4. दिनांक 12.01.2018 को मोशन नोटिस जारी करते समय चुनौतीप्राप्त आदेशों के प्रवर्तन पर स्थगन आदेश दिया गया था।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि एकमात्र शिकायत यह है कि एक ही लेनदेन के लिए दो अलग-अलग करार निष्पादित किए गए थे, कोई अलग प्रतिफल नहीं दिया गया था और दोनों दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने दो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे और यह दलील कलेक्टर या बोर्ड के समक्ष नहीं उठाई गई थी।
7. कर बोर्ड द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तारीख पर प्रचलित दरों पर स्टाम्प शुल्क लगाने के लिए मामले को वापस रिमांड किया गया था। यह मुद्दा कि क्या दोनों दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है, मामले के मूल में जाता है। बोर्ड द्वारा किए गए रिमांड का दायरा इस हद तक बढ़ाया गया है कि याचिकाकर्ता को यह मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता होगी कि क्या दोनों दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है। उठाए गए मुद्दे पर विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
8. रिट याचिका तदनुसार निस्तारित किया गया।

(उमा शंकर व्यास), जे

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन / योगेश / 54-55

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

